फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान :– श्यामलाल पुत्र रतनलाल वगैरह **बनाम** गैर सायलान :– रामलाल पुत्र रतनलाल वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र

मु.नं. 11 /सन 2019

[...]ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
[...]1.2019	वकील सायल उपस्थित।	

वकील सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गै.सा. की सामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि सरहद मौजा रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण मे ख.नं. 863/5 रकबा 09–07 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त आराजी का बंटवाड़ा नही हो रखा हैं। उक्त आराजी मे सायल अपने 1/2 हक हिस्से पर काबिज हैं मगर उक्त भूमि का बंटवाड़ा का दावा लम्बित रहने के दौरान गै.सा. रामलाल रास्ते के चिपती जमीन को बैचान इकरार व मुन्तकिल करने पर आमदा हैं। उक्त आरजी के भू भाग को बैचान इकरार व मुनकिल करने अथवा सायल के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक रिकाड यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सायल एवं गै.सा. की सामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि सरहद मौजा रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण मे ख.नं. 863/5 रकबा 09–07 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायल तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 22.01.2019 वास्ते जबाव प्रा0प0 पेश हो।

SDO

22/1/19 वकील सायल उप०। प्रति०। गै.सा. उप०।
गै.सा. नं. 1 की ओर से वकील भास्कर सिंह भाटी ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया हुआ है। वकील गै.सा. जवाब प्रा. पत्र पेश नहीं करना चाहते है। बहस हेतु तैयार होने से गै.सा. की ओर से जवाब प्रा.पत्र का अवसर बन्द किया जाता है। बहस [illegible] सुनी गई।

वकील सायल ने बहस में जाहिर किया कि सायल उक्त आराजी में 1/2 हिस्से का रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। सायल के पक्ष में जवाब पेश होने तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै.सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निपादन किया गया है। मूल वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश को पुष्ट किया जाने का आदेश फरमावे। इस पर वकील प्रतिवादी/ओ.पा. नं. 01 को कोई आपत्ति/ऐतराज नहीं है। पत्रावली मय हालातमात का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वकलाए पर गौर मनन किया गया। वादिया अपील एवं ओ.पा. नं. 01 अपने अपने हितों के संरक्षणार्थ आवश्यक है अपील में पक्षों के दिनांक 11/1/18 को जारी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा बाबत रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने को मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली कौन्सल शुमार होकर नस्ती से फैसल हो। बाद तकमील वापस दाखिल दफ्तर रेकर्ड/अभिलेख जमा हो। Sd/- 580.